तौहीद से संबंधित
सन्देहों का निवारण

लेखक

शैख़ुल इस्लाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब

रहिमहुल्लाह

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

संशोधन

मुहम्मद ताहिर हनीफ

www.islamhouse.com

1428-2007

بسم الله الرحمن الرحيم

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

अध्याय : १

{संदेशवाहकों का प्रथम उद्देश्य तौहीद इबादत (उपासना) की पूर्ति है}

यह बात जान लो, अल्लाह तआला तुम पर दया करे, कि एक अल्लाह की उपासना करने (और किसी को उस उपासना में साझी न करने) को ''तौहीद'' (एकेश्वरवाद) कहते हैं। यही समस्त रसूलों (संदेशवाहकों) का धर्म रहा है, जिसकी शिक्षा देकर अल्लाह तआला ने संदेशवाहकों को अपने बन्दों के पास भेजा।

सर्वप्रथम रसूल (संदेशवाहक) नूह अलैहिस्सलाम हैं। उनकी क़ौम (समुदाय) ने वद्द, सुवाअ, यग़ूस, यऊक़ और नस्र जैसे सदाचारियों के विषय में जब अतिशयोक्ति (गुलू) करना आरम्भ किया तो अल्लाह तआला ने उनके

मार्गदर्शन के लिये नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, और सबसे अन्तिम रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्हों ने उपरोक्त सदाचारियों की मूर्तियों को नष्ट किया। आप जिस समुदाय की ओर भेजे गये वह लोग अल्लाह की उपासना और आराधना, और उसका अधिक स्मरण (ज़िक्र) करते थे, हज्ज और दान पुण्य भी करते थे, किन्तु इसके साथ ही वह अपने और अल्लाह तआला के बीच सदाचारियों और कुछ लोगों जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम, मरयम तथा फरिश्तों या अन्य नेक लोगों को माध्यम बनाते और यह कहते थे कि : इनके द्वारा हम अल्लाह की निकटता और समीपता प्राप्त करना चाहते हैं, और अल्लाह के पास इन सदाचारियों की सिफारिश के प्रत्याशी हैं।

ऐसी अवस्था में अल्लाह तआला ने मुहम्मद (ﷺ) सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ईश्दूत बनाकर भेजा ताकि आप उनके बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के धर्म का नवीनीकरण करें और लोगों पर यह स्पष्ट कर दें कि यह समीपता और श्रद्धा केवल अल्लाह तआला का अधिकार है, किसी अन्य व्यक्ति की बात तो बहुत दूर, किसी निकटवर्ती फरिश्ते अथवा रसूल के विषय में भी यह श्रद्धा नहीं रखी जा सकती। अन्यथा यह

मुशरिकीन (अनेकेश्वरवादी) इस बात को स्वीकार करते और साक्ष्य (गवाही) देते थे कि अकेला अल्लाह ही उत्पत्ति कर्ता है जिसका कोई साझी नहीं, केवल वही जीविका प्रदान करनेवाला है, और वही मृत्यु देता है और जीवन प्रदान करता है, और केवल वही सारे संसार का संचालन करता है, तथा सातों आकाश और उनके भीतर जो कुछ है और सातों धरतियाँ और जो कुछ उनके भीतर है सब के सब अल्लाह के बन्दे (उपासक) और उसके अधिकार के अधीन और नियन्त्रण में हैं।

अध्याय : २

{इस बात का प्रमाण कि वह मुशरिकीन जिन से अल्लाह के रसूल ने युद्ध किया वह लोग तौहीद रुबूबियत को स्वीकार करते थे किन्तु यह स्वीकृति उन्हें इबादत में शिर्क करने से न बचा सकी}

यदि आप इस बात का प्रमाण चाहते हैं कि वह मुशरिकीन (अनेकेश्वरवादी) जिन से आप ﷺ ने युद्ध किया वह लोग उपरोक्त बातों की साक्ष्य देते थे, तो कुरआन में अल्लाह तआला के इस कथन को पढ़ियेः

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ﴾ [يونس:٣١].

आप इनसे पूछिये, तुम को आकाश और धरती से कौन जीविका प्रदान करता है ? अथवा कानों और आखों पर किसका अधिकार है ? तथा निर्जीव से

सजीव को कौन निकालता है ? और सजीव से निर्जीव को कौन निकालता है ? और संसार के कार्यों का संचालन कौन करता है ? तो इसके उत्तर में यह (अनेकेश्वरवादी) अवश्य कहेंगे कि अल्लाह तआला। आप इनसे पूछिये कि फिर तुम (शिर्क से) क्यों नहीं बचते। (सूरः यूनुस :३१)

दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला ने फरमाया :

﴿قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ○ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ○قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ○سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ○ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ○ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ [المؤمنون:٨٤- ٨٩].

उन से पूछो, धरती और जो कुछ उस में है किसकी है? यदि तुम जानते हो (तो बताओ), वह अवश्य यही कहेंगे कि अललाह की। कहो, फिर तुम चिंतन क्यों नही करते। इनसे पूछो कि सातों आकाशों का स्वामी तथा विराट सिंहासन (अर्श अज़ीम) का स्वामी कौन है ? वह अवश्य

यही कहेंगे कि अल्लाह। कहो, फिर तुम उस से डरते क्यों नहीं। इन से पूछो, यदि तुम जानते हो तो बताओ कि किसके हाथ में प्रत्येक वस्तु का अधिकार है और वह शरण देता है और उसके विरुद्ध कोई शरण नहीं दे सकता ? वह अवश्य कहेंगे कि अल्लाह तआला के हाथ में। कहो, फिर तुम पर कहां से जादू हो जाता है।

(सूरतुल-मूमिनून: ८४-८८)

इस विषय से संबंधित पवित्र कु़र्आन में इनके अतिरिकत अन्य आयतें भी हैं।

जब आप ने यह ज्ञात कर लिया कि यह मुशरिकीन इन सारी चीज़ों को स्वीकार करते थे और रात दिन अल्लाह को पुकारते भी थे, किन्तु जो तौहीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ले कर आये थे उस में प्रवेश नहीं किये। और आप ने यह भी ज्ञात कर लिया कि जिस तौहीद को मानने से उन्हों ने इन्कार किया था वह तौहीद इबादत (उलूहियत) अर्थातः केवल एक अल्लाह की उपासना करना और उसमें किसी को साझी न बनाना है, जिसे हमारे युग के मुशरिकीन 'एतिक़ाद' (श्रद्धा) कहते हैं।

कुछ मुशरिकीन ऐसे भी थे जो फ़रिश्तों को पुकारते थे ताकि यह फरिश्ते अल्लाह के समीपस्थ होने के कारण उनकी सिफारिश (अभिस्ताव) कर दें, या किसी सदाचारी व्यक्ति जैसे कि 'लात' अथवा किसी नबी (ईश्दूत) जैसे कि 'ईसा' अलैहिस्सलाम को पुकारते थे।

तथा आप इस से भी अवगत हो गये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसी शिर्क पर उन मुशरिकीन से युद्ध किया और उन्हें केवल एक अल्लाह की उपासना करने का आमन्त्रण दिया, जैसा कि अल्लाह तआला ने पवित्र कुरआन में फरमाया है:

﴿ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾ [الجن:١٨].

अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो।

(सूरतुल जिन्न:१८)

दूसरे स्थान पर फरमाया:

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ ﴾ [الرعد:١٤].

उसी (अल्लाह ही) की पुकार वास्तविक पुकार है, और जिनको यह अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वह

उनका कुछ काम नहीं निकाल सकते। (सूरः अर-रअ्दः१४)

आप ने यह भी भली-भांति जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन मुशरिकीन से इस बात पर युद्ध किया कि प्रत्येक प्रकार की प्रार्थना, मिन्नत मानना, भेंट चढ़ाना, (बलिदान देना) सहायता मांगना तथा समस्त प्रकार की उपासनाएं केवल अल्लाह के लिये हों। और आप इस से भी अवगत हो गये कि उनका केवल तौहीद रुबूबियत का स्वीकार करना उन्हें (शिर्क से निकाल कर) इस्लाम में प्रवेश नहीं दिला सका, बल्कि फ़रिश्तों, पैग़म्बरों और औलिया (सदाचारियों) को पुकारने, उन्हें अल्लाह के पास सिफारिशी समझने और इसके द्वारा अल्लाह की समीपता प्राप्त करने के उद्देश्य ने ही उनके प्राण और सम्पति को वैध (हलाल) ठहरा दिया (अर्थात इस्लाम ने उनके जान व माल की सुरक्षा नहीं की)।

उपरोक्त विस्तार के पश्चात आपके सामने उस तौहीद की सत्यता स्पष्ट हो जाती है जिसका निमन्त्रण समस्त नबियों और रसूलों ने दिया और जिसको स्वीकार करने से मुशरिकीन ने इन्कार कर दिया।

अध्याय : ३

{'ला-इलाहा इल्लल्लाह' का अर्थ ही तौहीद इबादत है और नबी ﷺ के समय के कुफ्फार उसके अर्थ को इस्लाम के कुछ दावेदारों से अधिक जानते थे}

आप के कथन 'ला इलाहा इल्लल्लाह' का अर्थ भी यही तौहीद (तौहीद उलूहियत) है। क्योंकि मुशरिकीन 'इलाह' से तात्पर्य खालिक़ (उत्पत्तिकर्ता) राज़िक़(जीविका प्रदान करने वाला) और संसार का प्रबंधक नहीं समझते थे, इसलिये कि वह जानते थे कि सृष्टा, अन्नदाता और संसार का संचालक केवल अल्लाह तआला है जैसा कि मैं ने पहले वर्णन किया, अपितु उनके निकट 'इलाह' वह हस्ती (अस्तित्व) होती थी जिसे वह अल्लाह का निकटवर्ती अथवा अल्लाह के पास सिफारिशी या अपने और अल्लाह के बीच मध्यस्थ समझ कर उसकी ओर मुतवज्जेह होते थे, चाहे वह कोई फरिश्ता हो या कोई नबी, अथवा कोई वली हो या वृक्ष, अथवा कोई समाधि हो या कोई जिन्न। बल्कि वह 'इलाह' का वही अर्थ

समझते थे जो आज हमारे समय के अनेकेश्वरवादी 'सैयिद' के शब्द से लेते हैं।

ऐसी स्थिति में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कलिम-ए-तौहीद 'ला-इलाहा इल्लल्लाह' की ओर बुलाया, और इस कलिमा से अभिप्राय उसका अर्थ है, केवल उसके शब्दों का उच्चरण करना नहीं।

मूर्ख नास्तिक (कुफ़्फ़ार) इस बात को भली-भांति जानते थे कि इस कलिमा से नबी ﷺ का अभिप्राय यह है कि केवल अल्लाह की हस्ती से सम्बन्ध रखा जाये और उसके अतिरिक्त पूजा की जाने वाली प्रत्येक चीज़ों को अस्वीकार किया जाये और उनसे अलग थलग रहने (संबंध-विच्छेद) की घोषणा की जाये। यही कारण था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहने के लिये कहा तो उन्हों ने उत्तर दियाः

﴿ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص:٥]

क्या इस ने सभी पूजा पात्रों को एक पूज्य बना दिया ? यह तो बड़ी आश्चर्य जनक बात है। (सूर : सादः ५)

यह जानने के पश्चात कि मूर्ख नास्तिक भी इस शब्द का अर्थ जानते थे, उन लोगों पर बड़ा आश्चर्य होता है जो इस्लाम के दावेदार हैं और इस कलिमा का उतना भी अर्थ नहीं जानते जितना मूर्ख नास्तिक जानते थे। बल्कि ये लोग यह समझते हैं कि उसके अर्थ का हार्दिक विश्वास रखे बिना केवल मुख से शब्द का कह लेना ही पर्याप्त है।

उन में जो अधिक समझदार और बुद्धिमान माने जाते हैं वह इस शब्द का अर्थ यह समझते हैं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पैदा करने वाला, जीविका प्रदान करने वाला और संसार के कार्यों का संचालक और प्रबंधक नहीं है। स्पष्ट बात है कि उस व्यक्ति के अन्दर कोई भलाई नहीं है जिस से अधिक 'ला इलाहा इल्लल्लाह' का अर्थ मूर्ख नास्तिक (कुफ़्फ़ार) जानते थे।

अध्याय : ४

{ मुसलमान को ज्ञात होना चाहिये कि उस पर अल्लाह तआला की तौहीद की अनुकम्पा उसके लिये उसकी प्राप्ति पर प्रसन्न होने और उसके छिन जाने से भय करने का कारण है }

जब आप ने उपरोक्त विवरण को हृदयपूर्वक जान लिया और उस शिर्क (अल्लाह के साथ किसी को साझी बनाना) से भी अवगत हो गये जिसके विषय में अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء:٤٨].

निःसन्देह अल्लाह अपने साथ शिर्क किये जाने को क्षमा करने वाला नहीं, परन्तु शिर्क के अतिरिक्त जो पाप है उन्हें जिस के लिये चाहे क्षमा कर दे।
(सूरतुन-निसाः४८)

तथा आप ने यह भी ज्ञान प्राप्त कर लिया कि अल्लाह का धर्म कौन सा है जिसके साथ उसने समस्त संदेशवाहकों को भेजा और जिसके अतिरिक्त अल्लाह तआला किसी से कोई अन्य धर्म स्वीकार नहीं करेगा। और यह भी ज्ञात हो गया कि आज लोगों की बहुमत इस धर्म से किस प्रकार निश्चेत और अपरिचित है, इन (बातों को जान लेने) से आप को दो महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे:

प्रथम:- अल्लाह की कृपा और अनुकम्पा प्राप्त होने पर प्रसन्नता :

जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨]

(हे पैग़म्बर आप) कह दीजिये कि लोगों को अल्लाह की अनुकम्पा और कृपा पर प्रसन्न होना चाहिये, यह उस से कहीं अधिक श्रेष्ठ है जिसे वह बटोर रहे हैं। (सूर: यूनुस:५८)

द्वितीयः अल्लाह तआला का अत्यन्त भय और डरः

अल्लाह तआला का भय उस समय और अधिक होगा तथा इन सारी चीज़ों से मुक्ति मार्ग की जिज्ञासा (खोज) अधिक बढ़ जायेगी जब आप यह ज्ञात कर लें कि प्रायः मनुष्य के मुख से निकला हुआ एक शब्द उसे कुफ़्र (नास्तिकता) तक पहुँचा देता है, कभी तो उसके मुख से यह शब्द अज्ञानता (मूर्खता) में निकल जाता है और अज्ञानता के कारण वह क्षमा योग्य नहीं समझा जायेगा, और कभी वह यह समझ कर ऐसी बात बोलता है कि यह चीज़ उसे अल्लाह के समीप कर देगी, जैसा कि मुशरिकीन का यह मानना था, विशेषकर इस विषय में मूसा अलैहिस्सलाम के समुदाय की घटना का विश्लेषण करने की यदि अल्लाह तुम्हें शक्ति दे कि किस प्रकार उन्होंने ज्ञान और संयम के होते हुये मूसा अलैहिस्सलाम से अभियाचना कियाः

﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأعراف:١٣٨].

(हे मूसा) जेसे इन लोगों के पास पूज्य हैं उसी प्रकार हमारे लिये भी एक पूज्य बना दो। (सूरतुल-आराफः१३८)

अध्याय : ५

{अल्लाह तआला की हिक्मत (नीति) का यह तक़ाज़ा है कि उस ने अपने नबियों (ईश्दूतों) और सदाचारियों के लिये इन्सानों और जिन्नों में से शत्रु बनाया है}

इस बात से भी अवगत रहें कि अल्लाह की यह नीति रही है कि उस ने तौहीद का आमन्त्रण दे कर जितने भी नबी (ईश्दूत) भेजे, उन नबियों के शत्रु भी पैदा फरमाये, जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً﴾ [الأنعام:١١٢].

और हम ने इसी प्रकार मनुष्यों और जिन्नो में से शैतानों (दुष्टात्माओं और उपद्रवी लोगों) को प्रत्येक नबी का शत्रु बना दिया, ताकि वह एक दूसरे को प्रलोभन और लालसा की बातें धोखा देने के लिये सिखायें। (सुरतुल-अनआम:११२)

तौहीद के शत्रुओं के पास अधिक ज्ञान, पुस्तकें और प्रमाण भी हो सकते हैं, जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ [غافر:٨٣].

जब उनके पैग़म्बर (संदेश्वाहक) उनके पास स्पष्ट प्रमाण लेकर आये तो वह अपने ज्ञान और योग्यता पर फूलने लगे। (सूरतुल-ग़ाफिर : ८३)

अध्याय : ६

{ शत्रुओं के सन्देहों के निराकरण के लिये किताब (कुरआन) और सुन्नत (हदीस) से सशस्त्र होना आवश्यक है}

जब आप ने उपरोक्त बातों को जान लिया और इस बात से भी अवगत हो गये कि अल्लाह के मार्ग में धर्म के शत्रु बैठे हुये हैं जो ज्ञान, फसाहत (लाटिका) तर्कशास्त्र और प्रमाणों से सशस्त्र हैं, तो ऐसी स्थिति में आप के लिये अनिवार्य हो जाता है कि धर्म का इतना ज्ञान अवश्य प्राप्त करें जो इन शैतानों (धर्म शत्रुओं) से युद्ध करने के लिये पर्याप्त हो जिनके गुरू और अगुवा ने आपके प्रभु (अल्लाह) सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा थाः

﴿لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ○ ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾

[الأعراف:١٦،١٧]

मैं भी तेरे सीधे मार्ग पर उनकी घात में बैठूंगा, फिर उनके पास उनके आगे से और उनके पीछे से आऊंगा, और उनके दाहिने ओर से और उनके बॉए ओर से, और तू उनके अधिक लोगों को कृतज्ञ नहीं पायेगा। (सूरतुल-आराफ :१६-१७)

किन्तु यदि आप अल्लाह तआला से संबंध बनायें और उसकी आयतों और प्रमाणों (कुरआन और हदीस के आदेशों) पर कान धरें तो आप को कोई भय और शोक (चिन्ता) नहीं करना चाहिये; क्योंकि)अल्लाह तआला का फरमान है):

﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً ﴾ [النساء:٧٦].

निः सन्देह शैतान की चाल (छल) अत्यन्त निर्बल है। (सूरतुन-निसाः ७६)

एक साधारण तौहीद का अनुयायी (एकेश्वरवादी) मुशरिकीन के हज़ार विद्वानों पर भारी होता है। जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ [الصافات:١٧٣].

निःसन्देह हमारा जत्था ही विजयी होगा।

(सूरतुस-साफ्फातः१७६)

अतः अल्लाह तआला का जत्था और उसकी सेना ही दलील (प्रमाण) और वक्तव्य के द्वारा विजयी होती है, जिस प्रकार तलवार और भाले (अर्थात 'जिहाद') के द्वारा भी वही लोग सफल होते हैं, किन्तु भय उस एकेश्वरवादी पर है जो बिना अस्त्र शस्त्र के सत्यता के मार्ग पर निकल पड़ा हो। जबकि अल्लाह तआला की कृपा और उपकार है कि उस ने हमें ऐसी पुस्तक प्रदान की है जोः

﴿تِبْيَانـاً لِكُـلِّ شَـيْءٍ وَهُـدىً وَرَحْمَـةً وَبُـشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل:٨٩]

प्रत्येक वस्तु को स्पष्ट करने वाली, मुसलमानों के लिये सम्पूर्ण मार्गदर्शन, अनुकम्पा और शुभसूचना है। (सूरतुन-नह्लः ८६)

अतः मिथ्यावादी जो भी प्रमाण लेकर आते हैं यह पुस्तक उस का तोड़ करती है और स्पष्ट रूप से उसका खंडन करती है, जैसा कि अल्लाह तआला ने क़ुरआन में घोषणा की हैः

﴿وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً﴾ [الفرقان:٣٣].

यह (काफ़िर) जब (क़ुर्आन अथवा सत्य के विरूद्ध) कोई उदाहरण (आपत्ति) आप के पास लेकर आते हैं तो हम उसका सच्चा उत्तर देते हैं तथा उसकी उचित व्याख्या कर देते हैं। (सूरतुल फ़ुरक़ानः ३३)

कुछ भाष्यकारों का कहना है कि यह आयत हर उस तर्क (आक्षेप) के लिये सामान्य (उत्तर) है जिसे मिथ्यावादी महाप्रलय तक प्रस्तुत करेंगे।

अध्याय : ७

{ मिथ्यावादियों का संछिप्त तथा विस्तार रूप से उत्तर}

हमारे समय के मुशरिकीन (अनेकेश्वरवादी) हमारे विरूद्ध जो तर्क (आपत्तियां) प्रस्तुत करते हैं उनके उत्तर (खन्डन) में अल्लाह तआला ने अपनी पुस्तक क़ुरआन में जो बातें वर्णन की हैं उनमें से कुछ बातें हम आपके सम्मुख रखते हैं:

मिथ्यावादियों को दो प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है:

१- संछिप्त उत्तर २- सविस्तार उत्तर

1- ***संछिप्त उत्तर:***

संछिप्त उत्तर बुद्धिमान और समझ बूझ रखने वालों के लिये बहुमूल्य और अत्यन्त लाभदायक है, अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ
مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ﴾ [آل عمران:٧].

उसी (अल्लाह) ने तुझ पर किताब (कुरआन) उतारी, जिसमें कुछ आयतें स्पष्ट अटल हैं, जो कुरआन की मूल आधार हैं, और कुछ आयतें मुतशाबेह (सदृश,अस्पष्ट) हैं, तो जिनके दिलों में टेढ़ापन है वह लोगों को पथ-भ्रष्ट करने के लिये और वास्तविक तत्व ज्ञात करने के उद्देश्य से मुतशाबेह आयतों के पीछे पड़ जाते हैं, हालांकि उनकी असल तत्व अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता है। (सूरः आल-इमरान :७)

तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सहीह हदीस में प्रमाणित है कि आप ने फरमाया :

((إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوْهُمْ))

जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो कुरआन की मुतशाबेह (सदृश) आयतों के पीछे पड़े हों तो समझ लो कि यह वही लोग हैं जिनका अल्लाह ने

क़ुरआन में नाम लिया है, फिर उनसे बचते रहो।
{बुख़ारी हदीस न. ४५४७ -फत्ह, मुस्लिम हदीस न. २६६५.}

उदाहरण स्वरूप यदि कोई अनेकेश्वरवादी आप से कहे कि क़ुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया है किः

﴿أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس:٦٢]

सुन रखो, जो लोग अल्लाह के मित्र हैं उनको न भय होगा और न वह शोक ग्रस्त होंगे।

(सूरः यूनुसः ६२)

और फिर यह कहे कि शिफाअत सत्य है, और पैग़म्बरों को अल्लाह के निकट महान स्थान (प्रतिष्ठा) और पद प्राप्त है।

अथवा अपने भ्रष्ट श्रद्धा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की किसी हदीस से दलील पकड़े और आपको उस हदीस का अर्थ ज्ञात न हो, तो आप इन समस्त स्थितियों में उसे इस प्रकार उत्तर देंः

अल्लाह तआला ने अपनी किताब (क़ुरआन) में वर्णन किया है कि जिनके दिलों में टेढ़ापन (कुटिलता) होता है वह स्पष्ट (ठोस) आयतों को छोड़ कर मुतशाबेह

(सदृश) आयतों के पीछे पड़े रहते हैं, (तथा आप उसे यह बात भी बतादें) जो पिछले पृष्ठों में वर्णन कर चुका हूँ कि मुशरिकीन तौहीद रुबूबियत को स्वीकार करते थे, परन्तु वह इस कारण काफिर घोषित किये गये कि उन्हों ने फरिश्तों, ईश्दूतों और सदाचारियों से संबंध जोड़ा और उनके बारे में यह श्रद्धा रखते थे कि :

﴿هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّه﴾ [يونس:١٨].

यह अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं।

(सूरः यूनुस : १८)

उपरोक्त बातें बिल्कुल ठोस और स्पष्ट हैं, किसी के अन्दर यह साहस (शक्ति) नहीं है कि वह इस में हेर-फेर कर सके।

परन्तु हे अनेकेश्वरवादी, तू ने जो पवित्र कुरआन अथवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस से जो कुछ वर्णन किया है मैं पूर्ण रूप से उसका अर्थ तो नहीं जानता, किन्तु मैं सम्पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि अल्लाह के प्रवचन में कोई विरोध नहीं और न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के प्रवचन के विपरीत कोई बात कह सकते हैं।

यह एक श्रेष्ठ उत्तर है, इसे साधारण न जानें, किन्तु इस उत्तर का महत्व व मूल्य वही समझ सकता है जिसे अल्लाह ने सामर्थ दी हो, उसका महत्व वही है जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरआन में फरमाया है :

﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت:٣٥].

यह (गुण) उन्हीं को प्राप्त होता है जो धैर्य से काम लेते हैं, और इसका सामर्थ्य उन्हीं को मिलता है जो भाग्यशाली हैं। (सूरः फुस्सिलत : ३५)

2-*सविस्तार उत्तर :*

संदेशवाहकों के धर्म पर अल्लाह के शत्रुओं की आपत्तियां अधिक हैं, जिसके द्वारा वह लोगों को धर्म से पथ-भ्रष्ठ करते हैं, उन्हीं में से कुछ निम्नलिखित हैं :

(१) उनका कहना है कि हम अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते हैं बल्कि हम इस बात की साक्ष्य (गवाही) देते हैं कि सृष्टा, जीविका प्रदान करने वाला और हानि व लाभ का स्वामी केवल अल्लाह तआला है, उसका कोई साझी नहीं, और यह कि मुहम्मद ﷺ भी अपने हानि और लाभ का अधिकार नहीं रखते, अब्दुल क़ादिर या अन्य

सदाचारियों की बात तो बहुत दूर है। किन्तु हम पापी और दोषी हैं और सदाचारियों का अल्लाह के पास उच्च पद और स्थान है, इस लिये उनके माध्यम से हम अल्लाह से मांगते हैं।

इसका भी आप वही उत्तर दें जो पहले वर्णन किया जा चुका और वह यह कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने जिन लोगों से युद्ध किया वह भी इन बातों को स्वीकार करते थे, और यह मानते थे कि उनकी मूर्तियां किसी भी चीज़ का संचालन नहीं करती हैं, किन्तु वह उनके माध्यम से अल्लाह के पास उनके वैभव और अभिस्ताव के प्रत्याशी हैं। साथ ही आप उन्हें कुरआन की आयतें पढ़कर सुनायें और उनकी व्याख्या करें।

(२) इस पर वह यदि आपत्ति व्यक्त करे कि यह आयतें तो उन लोगों के विषय में अवतरित हुयीं जो मूर्तियों की पूजा करते थे, आप सदाचारियों को मूर्तियों जैसा क्यों बनाते हैं ? अथवा आप नबियों को मूर्तियां क्यों कहते हैं?

तो आप इस आपत्ति का भी वही पुराना उत्तर दें, क्योंकि जब उन्हों ने यह स्वीकार कर लिया कि नास्तिक समस्त रुबूबियत को केवल अल्लाह के लिये मानते थे

और अल्लाह के अतिरिक्त जिन लोगों (सदाचारियों अथवा फरिश्तों) से संबंध जोड़ते थे उसका उद्देश्य सिफ़ारिश (अभिस्ताव) के अतिरिक्त कुछ नहीं था। (किन्तु इसके उपरान्त भी उन्हें काफिर घोषित कर दिया गया और उनसे युद्ध किया गया)

इसको स्वीकार करने के पश्चात यदि आपत्तिकर्ता अपने और कुफ़्फ़ार के कार्यों के बीच अन्तर करना चाहें तो आप उन्हें बतायें कि काफिरों में कुछ तो ऐसे थे जो मूर्तियों को पुकारते थे, किन्तु कुछ ऐसे भी थे जो औलिया (सदाचारियों) को पुकारते थे जिनके विषय में अल्लाह तआला का फरमान हैः

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ [الإسراء:٥٧].

जिन लोगों को यह (मुशरिकीन) पुकारते हैं वह स्वयं अपने प्रभु की ओर माध्यम ढूंडते हैं कि कौन अल्लाह से अधिक निकट होता है। (सूरतुल-इस्राः ५७)

इसी प्रकार वह ईसा बिन मरियम और उनकी माता को भी पुकारते थे, जिनके विषय में अल्लाह तआला फरमाता हैः

﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ○ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

[المائدة:٧٥،٧٦].

मरियम के पुत्र मसीह केवल एक संदेशवाहक थे, उनसे पूर्व अनेक संदेशवाहक गुज़र चुके हैं, और उनकी माता एक सत्यवती स्त्री थीं, दोनों भोजन करते थे, देखो हम किस प्रकार उनके लिये प्रमाणों (निशानियों) को स्पष्ट करते हैं, फिर देखो वह कैसे फिरे जाते हैं, ऐ पैग़म्बर कह दो क्या तुम अल्लाह को छोड़ कर ऐसे को पूजते हो जो न तुम्हारे हानि का अधिकार रखता है और न लाभ का, और अल्लाह ही सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। (सूरतुल-माईदा :७५-७६)

आप उनके समक्ष यह आयत भी पेश करें :

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ○ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ [سبأ:٤٠،٤١].

जिस दिन अल्लाह तआला समस्त लोगों को एकत्र करेगा, फिर फरिश्तों से कहेगाः क्या यही (मुशरिक) लोग तुम को पूजते थे ? वह उत्तर देंगेः हमारे प्रभू, तू प्रत्येक दोष (अवगुण) से पवित्र है, उनसे हमारा क्या संबंध, तू हमारा स्वामी है, (यह हम को नहीं) बल्कि जिन्नों (शैतानों) को पूजते थे, इनमें से अधिकतर लोग शैतान ही को मानते थे। (सूरः सबा :४०-४१)

तथा अल्लाह तआला का यह फरमान भी उनके सम्मुख पेश करें :

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ

إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا
أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾

[المائدة:١١٦].

और (उस समय को याद करो) जब अल्लाह तआला फरमाये गाः ऐ मरियम के पुत्र ईसा, क्या तुम ने लोगों से यह कहा था कि मुझ को और मेरी माता को अल्लाह के अतिरिक्त पूज्य बनालो? वह उत्तर देंगेः तू पवित्र है (प्रत्येक अवगुण से) मुझ से कहीं हो सकता है कि वह बात कहूं जिसका मुझे अधिकार नहीं है, यदि मैं ने यह बात कही होगी तो अवश्य तेरे ज्ञान में होगी, तू मेरे हृदय की बात जानता है, किन्तू मैं तेरे दिल की कोई बात नहीं जानता, निःसन्देह तू ही परोक्ष का ज्ञान रखने वाला है। (सूरतुल-माईदाः११६)

इस विवरण के पश्चात आप आपत्तिकर्ता से कहें कि देखो अल्लाह तआला ने उनको भी नास्तिक घोषित किया है जो मूर्तियों के पास जाते थे, और उनको भी नास्तिक घोषित किया है जो (सिफारिश के उद्देश्य से) सदाचारियों के पास जाते थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे युद्ध किया था।

(३) इस पर यदि वह यह कहे कि नास्तिक मूर्तियों कि पूजा करते थे और उनसे मांगते भी थे, जबकि हम इस बात की साक्ष्य (गवाही) देते हैं कि हानि और लाभ का अधिकार रखने वाला और संसार का प्रबन्ध करने वाला केवल अल्लाह तआला है, हम उसी से मांगते हैं, और सदाचारियों को किसी भी चीज़ का अधिकार प्राप्त नहीं है, किन्तु हम इस लिये उनके पास जाते हैं कि वह अल्लाह के पास हमारी सिफारिश कर दें।

इस बात का आप उन्हें यह उत्तर दें कि आपकी इस बात में और नास्तिकों के कथन में कोई अन्तर नहीं है, साथ ही अल्लह तआला का यह फरमान भी पढ़ कर सुनायें:

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر:٣].

जिन लोगों ने अल्लाह के अतिरिक्त अन्य लोगों को मित्र बना रखा है, वह कहते हैं कि हम तो उन्हें केवल इसी लिये पूजते हैं कि वह हमको अल्लाह के निकट कर दें। (सूरतुज़-ज़ुमर :३)

तथा दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّه﴾ [يونس:١٨].

वह (मुशरिकीन) कहते हैं कि यह अल्लाह के पास हमारे सिफ़ारिशी हैं। (सूरः यूनुस : १८)

स्पष्ट रहे कि मुशरिकीन की यही तीन बड़ी बड़ी आशंकायें और सन्देहें हैं, जब आप को यह ज्ञात हो गया कि अल्लाह तआला ने कुरआन के अन्दर बड़े स्पष्ट रूप से इन आशंकाओं का वर्णन किया है, और फिर भली-भांति इनको समझ भी लिया तो इनके अतिरिक्त जो भी आशंकायें होंगी उनका उत्तर कहीं अधिक सरल होगा।

अध्याय : ८

{ उन लोगों का उत्तर जो यह गुमान करते हैं कि पुकारना उपासना नहीं है}

यदि कोई आपत्तिकर्ता कहे किः मैं अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना नहीं करता, रहा सदाचारियों को पुकारना और उनसे प्रार्थना करना तो यह उनकी उपासना और पूजा तो नहीं है।

तो आप उस से कहें कि तुम इस बात को स्वीकार करते हो कि अल्लाह ने तुम पर अनिवार्य किया है कि तुम उपासना (इबादत) को केवल उसी के लिये निर्धारित करो और यह अल्लाह का तुम्हारे ऊपर अधिकार है। यदि वह इस बात को मान ले तो तुम उस से कहो कि वह आराधना जिसको अल्लाह ने केवल अपने लिये तुम पर अनिवार्य किया है और जो कि तुम पर उसका अधिकार है, उसकी व्याख्या करो।

यदि वह अल्लाह की उपासना और उसके विभागों से अवगत न हो तो आप स्वयं उसे अल्लाह का यह कथन पढ़कर समझायें :

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف:٥٥].

अपने प्रभु को गिड़-गिड़ाकर, चुपके-चुपके पुकारो, क्योंकि वह सीमा से निकल जाने वाले को पसंद नहीं करता। (सूरतुल-आराफ :५५)

फिर इस से अवगत कराने के पश्चात आप उस से पूछें कि पुकारना (प्रार्थना) उपासना है कि नहीं? वह अवश्य कहेगाः हां ; क्योंकि प्रार्थना (दुआ) उपासना का मस्तिष्क (सार) है।

फिर उस से कहें कि जब तुम ने स्वीकार कर लिया कि पुकारना (प्रार्थना) अल्लाह की उपासना है और अल्लाह तआला से डरते हुये और आशा रखते हुये दिन-रात तुम उस से प्रार्थना भी करते हो, फिर इसके साथ ही किसी आवश्यक्ता में किसी नबी (ईश्दूत) या सदाचारी आादि को भी पुकार लिया तो क्या तुम ने अल्लाह तआला की उपासना में दूसरे को साझी ठहराया कि नहीं ? वह अवश्य कहेगा : हां।

फिर आप उस से कहें कि अल्लाह तआला के इस फरमान :

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر:٢].

अपने प्रभू के लिये नमाज़ पढ़ो और क़ुरबानी (बलिदान) करो। (सूरतुल-कौसरः २)

से अवगत होने के पश्चात तुम ने अल्लाह की आज्ञापालन करते हुये उसके लिये बलिदान दिया तो यह उपासना हुयी कि नहीं ? वह अवश्य कहेगाः हां (यह उपासना हुई)।

अब आप उससे प्रश्न करें कि यही बलिदान जब तुम ने किसी नबी या जिन्न या इनके अतिरिक्त किसी अन्य प्राणी वर्ग (मख़्लूक़) के लिये किया तो उस उपासना में अल्लाह के साथ किसी अन्य को साझी ठहराया कि नहीं ? वह अवश्य इसको स्वीकार करेगा और कहेगा : हां।

साथ ही आप उससे यह पूछें कि वह अनेकेश्वरवादी जिनके संबंध में क़ुरआन अवतरित हुआ, क्या वह लोग फरिश्तों, सदाचारियों और 'लात' आदि की पूजा करते थे? वह अवश्य कहेगाः हां।

फिर आप उसे बतायें कि उनकी पूजा इसके अतिरिक्त और क्या थी कि वह उन्हें पुकारते (प्रार्थना करते) थे, उनके लिये पशुओं का भेंट चढ़ाते थे, उनकी ओर शरण लेते थे और इसी प्रकार की अन्य चीज़े

करते थे ? अन्यथा वह इस बात को तो स्वीकार ही करते थे कि वह सब के सब अल्लाह के दासी और उसके अधीन हैं, और यह कि अल्लाह तआला ही संसार के कार्यों का संचालक और प्रबंधक है, किन्तु इस स्वीकृति के उपरान्त उन्हों ने फरिश्तों और सदाचारियों को उनके पद (वैभव) और अभिस्ताव की आशा में उन्हें पुकारा और उनकी ओर शरण लिया, और यह बात अत्यन्त स्पष्ट है।

अध्याय : ६

{शरई (धार्मिक)शफाअत (अभिस्ताव) और शिर्किया (अधार्मिक) शफाअत के बीच अन्तर}

आपत्तिकर्ता यदि आप से यह कहेः क्या तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफाअत (अनुशंसा) को अस्वीकार करते हो और उस से विमुखता प्रकट करते हो ? तो आप उसे उत्तर दें कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफाअत का न तो इन्कारी (निवर्ती) हूं और न उस से विमुख हो सकता हूं। बल्कि मेरा विश्वास है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शाफिअ (सिफारिश करने वाले) और मुशफ्फअ हैं (अर्थात आपकी शफाअत स्वीकार की जाये गी) और मैं आपकी शफाअत का प्रत्याशी भी हूं। किन्तू समस्त प्रकार की शफाअत केवल अल्लाह के अधिकार में है, जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعا ﴾ [الزمر:٤٤].

कह दो कि शफाअत सारी की सारी (केवल) अल्लाह के अधिकार में है। (सूरतुज़-जुमर : ४४)

और यह शफाअत अल्लाह तआला की आज्ञा के पश्चात ही होगी, जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِه﴾ [البقرة:٢٥٥].

उसकी अनुमति के बिना कौन उसके पास सिफारिश कर सकता है। (सूरतुल-बक्रह : २५५)

तथा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी के विषय में उस समय तक सिफारिश नहीं करेंगे जब तक अल्लाह तआला उसके विषय में शफाअत की अनुमति न दे दे। जैसा कि फरमायाः

﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء:٢٨].

और वह किसी की सिफारिश नहीं कर सकते सिवाय उसके जिसके लिये अल्लाह की इच्छा हो। (सूरतुल-अंबिया :२८)

और अल्लाह तआला केवल तौहीद को पसंद करता है, जैसा कि उसका फरमान है :

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران:٨٥].

जो व्यक्ति इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्म की इच्छा करेगा तो कदापि उस से स्वीकार नहीं किया जायेगा। (सूरत आल-इमरान :८५)

जब समस्त शफाअत अल्लाह के अधिकार में है और सिफारिश अल्लाह की अनुमति के पश्चात ही होगी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी किसी के विषय में उस समय तक शफाअत नहीं करेंगे जब तक उसके विषय में अल्लाह तआला सिफारिश की अनुमति न प्रदान कर दे, और अल्लाह तआला केवल तौहीद वालों (एकेश्वरवादियों) के लिये अभिस्ताव की अनुमति प्रदान करेगा।

तो इस विवरण से आप के लिये यह तत्व स्पष्ट हो गया कि शफाअत सारी की सारी केवल अल्लाह तआला के अधिकार में है, अतः मैं अल्लाह तआला से शफाअत का इच्छुक हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि :

"اللهم لا تحرمني شفاعته" (हे अल्लाह, मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफाअत से वंचित न रखना)

"اللهم شفعه فيَّ" (हे अल्लाह, मेरे विषय में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शफाअत की अनुमति प्रदान करना)

तथा इसी प्रकार की अन्य प्रार्थनायें करता हूं।

आपत्तिकर्ता यदि यह कहे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शफाअत का अधिकार प्रदान कर दिया गया है और मैं उसी चीज़ का आप से प्रश्न (याचना) करता हूं जिसे अल्लाह तआला ने आप को प्रदान किया है। तो आप उसे यह उत्तर दें कि अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शफाअत अवश्य प्रदान किया है किन्तु उसके साथ ही आप से डाईरेक्ट सिफारिश का प्रश्न करने से मनाही की है, फरमाया :

﴿ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾ [الجن:١٨].

अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो।

(सूरतुल-जिन्न :१८)

अतः जब तुम अल्लाह तआला से प्रार्थना करते हो कि वह अपने नबी को तुम्हारे विषय में शफाअत करने की अनुमति प्रदान करे तो तुम अल्लाह के फरमान ﴿فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ में उसकी आज्ञापालन करो, और उसके साथ किसी और को न पुकारो।

दूसरी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी शफाअत का अधिकार दिया गया है, जैसा कि सहीह हदीस से प्रमाणित है कि फरिश्ते, सदाचारी और छोटे-छोटे बच्चे भी सिफ़ारिश करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या तुम यह कह सकते हो कि अल्लाह ने उन्हें सिफ़ारिश का अधिकार प्रदान किया है इस लिये मैं उनसे शफाअत की याचना करूंगा ? यदि तुम कहते हो कि हां, तो यही तो सदाचारियों की पूजा करना है जिसका अल्लाह तआला ने कुरआन में वर्णन किया है, और यदि तुम कहते हो कि नहीं, तो तुम्हारा यह कथन स्वयं असत्य (बातिल) हो जाता है किः अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शफाअत का अधिकार प्रदान किया है और मैं आप से अल्लाह की ओर से प्रदान की हुई चीज़ का प्रश्न करता हूं।

अध्याय : १०

{ यह प्रमाणित करना कि सदाचारियों का शरण ढूंडना शिर्क है और इसके नकारने वाले को इसे स्वीकार करने पर विवश करना}

यदि आपत्तिकर्ता यह कहे कि मैं कदापि अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ को साझी नहीं ठहराता। किन्तु यह समझता हूं कि सदाचारियों का शरण ढूंडना शिर्क नहीं है।

आप उससे कहें कि तुम इस बात को स्वीकार करते हो कि अल्लाह तआला ने शिर्क को व्यभिचार (ज़िना) से भी बढ़कर हराम (पाप) घोषित किया है, और यह भी स्वीकार करते हो कि अल्लाह तआला मुशरिक को कदापि क्षमा नहीं करेगा, तो अंततः वह कौन सा अपराध है जिसे अल्लाह तआला ने महापाप बताया है और उसके विषय में सूचना दी है कि उसे कभी भी क्षमा नहीं कर सकता ?

निःसन्देह उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होगा।

अतः आप उस से कहें कि तुम स्वयं को शिर्क से कैसे पवित्र (मुक्त) समझते हो जब तुम स्वयं शिर्क का अर्थ नहीं जानते ? यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह तआला तुम पर कोई चीज़ निषेध (अवैध) कर दे और यह कहे कि मैं उसको कभी क्षमा नहीं कर सकता, और तुम उससे अवगत न रहो और न ही किसी से उसके बारे में पूछो ? क्या तुम यह समझते हो कि अल्लाह तआला ने उसे केवल निषेध करके छोड़ दिया है और हमारे लिये उसकी व्याख्या नहीं की है ?

किन्तु यदि वह यह कहे कि 'शिर्क' मूर्ति-पूजा का नाम है और हम मूर्तियों को नहीं पूजते, तो आप उससे पूछें कि मूर्ति-पूजा का क्या अर्थ है ? क्या तुम यह समझते हो कि अनेकेश्वरवादी (मुशरिकीन) पूजा की जाने वाली लकड़ियों और पत्थरों को उत्पत्तिकर्ता, जीविका प्रदान करने वाला और उन्हें पुकारने वालों के कार्यों का संचालक और प्रबंधक मानते थे ? यदि ऐसा समझते हो तो यह असत्य है, क़ुरआन इसका खंडन करता है। जैसा कि अल्लाह तआला के इस फरमान में हैः

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴾ [يونس:٣١].

आप उनसे पूछिये, तुम को आकाश और धरती से कौन जीविका प्रदान करता है ? अथवा कानों और आँखों पर किसका अधिकार है ? तथा निर्जीव से सजीव को और सजीव से निर्जीव को कौन निकालता है ? और सारे संसार के कार्यों का कौन संचालन करता है ? तो इसके उत्तर में यह (अनेकेश्वरवादी) अवश्य कहेंगे कि अल्लाह। फिर तुम पूछो कि फिर शिर्क से क्यों नहीं बचते।

(सूरः यूनुस : ३१)

और यदि वह कहे कि 'शिर्क' (अनेकेश्वरवाद) यह है कि मनुष्य लकड़ियों या पत्थरों या समाधियों पर बने हुए भवनों आदि के पास जाये और उन्हें पुकारे, और उनके लिये पशुओं का बलिदान दे, और यह विश्वास रखे कि यह हमें अल्लाह के समीप कर देते हैं और अपनी बरकतों (वैभव) से हमारी विपत्तियों को हटा देते हैं अथवा हमारी आशायें (आकांक्षायें) पूरी कर देते हैं।

तो आप उसके उत्तर की पुष्टि करें और उसे बतलायें कि पत्थरों (मूर्तियों) और समाधियों पर बने

मज़ारों आदि पर जाकर जो कर्म तुम करते हो वह भी यही है। इस प्रकार मानो उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसका कर्म ही मूर्तियों की पूजा है, और यही हमारा उद्देश्य है।

उससे आप यह भी पूछें कि तुम ने जो यह कहा है कि 'शिर्क मूर्तियों की पूजा' को कहते हैं, इस से तुम्हारा क्या तात्पर्य है ? यदि तुम यह समझते हो कि शिर्क विशेषकर बुतों (मूर्तियों) के साथ ही होता है, और सदाचारियों को पुकारना और उन पर भरोसा करना शिर्क में नहीं आता है, तो यह असत्य है, क़ुरआन ने इसका खंडन किया है और अल्लाह तआला ने प्रत्येक उस व्यक्ति को नास्तिक (काफिर) धोषित किया है जो फरिश्तों या ईसा अलैहिस्सलाम या सदाचारियों से आश्रय लगाये या उनसे ऐसा संबंध रखे। अब वह व्यक्ति अवश्य इस बात को स्वीकार करेगा कि अल्लाह तआला की उपासना में किसी भी सदाचारी को साझी ठहराना ही वह शिर्क है जिसका क़ुरआन में वर्णन हुआ है, और यही (सिद्ध करना) हमारा उद्देश्य है।

इस मसअले का रहस्य यह है कि जब कोई व्यक्ति यह कहे किः मैं अल्लाह तआला के साथ किसी को साझी (अर्थात शिर्क) नहीं करता।

तो आप उससे कहें: शिर्क क्या है ? उसकी व्याख्या करो।

यदि वह कहे: अल्लाह के साथ शिर्क से अभिप्राय मूर्तियों की पूजा है।

तो आप उससे पूछिये: मूर्ति-पूजा का अर्थ क्या है? उसकी व्याख्या कीजिये।

यदि वह कहे: मैं अल्लाह तआला के अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा नहीं करता (केवल अल्लाह तआला की उपासना करता हूं)।

तो आप उससे कहें: केवल अल्लाह तआला की उपासना का क्या अर्थ है? उसकी व्याख्या करो।

यदि उसने 'केवल अल्लाह तआला की उपासना' का अर्थ क़ुरआन के अन्दर वर्णित उसकी व्याख्या के अनुसार बता दिया तो यही उद्देश्य और लक्ष्य है, किन्तु यदि वह कहे कि मैं उसे नहीं जानता तो उससे पूछें कि वह उस चीज़ का दावा क्यों करता है जिसका उसे ज्ञान ही नहीं ?

और यदि वह क़ुरआन के अर्थ के विपरीत कोई अन्य अर्थ बयान करे तो अल्लाह के साथ शिर्क और मूर्तियों की पूजा के विषय में वर्णित क़ुरआन की स्पष्ट

आयतों की उसके समक्ष व्याख्या करें और उसे बतायें कि यह ठीक वही चीज़ है जो हमारे समय में लोग कर रहे हैं, और केवल एक अल्लाह की उपासना ही वह अपराध (दोष) है जिसकी लोग हमें सज़ा (दण्ड) दे रहे हैं, और हमारे विरूद्ध अपने भूतपूर्व मुशरिक भाईयों के समान कोलाहल मचाते हैं किः

﴿أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

[ص:٥]

क्या उसने सारे उपासना पात्रों को एक ही उपास्य बना डाला! यह तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है।
(सूरतुस-साद : ५)

यदि वह कहे कि उन्हें फरिश्तों और नबियों (ईश्दूतों) को पुकारने के कारण काफिर (नास्तिक) नहीं धोषित किया गया है, अपितु उन्हें उनके इस कथन के कारण काफ़िर धोषित किया गया है कि फरिश्ते अल्लाह की पुत्रियां हैं। किन्तु हम ने अब्दुल क़ादिर तथा उनके अतिरिक्त किसी अन्य को अल्लाह तआला का पुत्र नहीं बनाया है।

तो उसका उत्तर यह है कि अल्लाह तआला की ओर पुत्र की निस्बत करना एक स्थायी कुफ़्र है। अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص:١،٢]

(आप) कह दीजिये कि वह अल्लाह एक है। अल्लाह तआला किसी के अधीन नहीं, सब उसके अधीन हैं। (सूरतुल-इख्लास :१-२)

'अहद' का तात्पर्य है वह अस्तित्व जिसका कोई समकक्ष न हो, और 'समद' का अर्थ है जिसकी ओर आवश्यकताओं में लौटा जाये और उसका आश्रय लिया जाये। अतः जिसने इसको अस्वीकार किया वह काफिर (अधर्मी) हो गया, यद्यपि वह इस सूरत का इन्कार न करे।

तथा अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾

[المؤمنون:٩١].

न तो अल्लाह ने किसी को पुत्र बनाया तथा न उसके साथ अन्य कोई पूज्य है। (सूरतुल-मोमिनूनः ९१)

इस प्रकार (अल्लाह तआला) ने दोनों प्रकारों में अन्तर किया है और प्रत्येक प्रकार को स्थायी रुप से कुफ़्र कहा है।

और अल्लाह तआला ने फरमायाः

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام:١٠٠].

तथा उन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का साझी बना दिया है, जबकि उसी ने उनको पैदा किया है। तथा उस (अल्लाह) के लिये बिना किसी ज्ञान (प्रमाण) के पुत्र तथा पुत्रियां गढ़ लीं।

(सूरतुल-अनआमः १००)

इस प्रकार अल्लाह तआला ने दोनों कुफ़्र के मध्य अन्तर किया है।

इसका प्रमाण यह भी है कि जिन लोगों को 'लात' को पुकारने के कारण काफिर धोषित किया गया, जबकि वह एक सदाचारी पुरुष था, उन्हों ने उस (लात) को अल्लाह का पुत्र नहीं बनाया था। तथा जिन लोगों को जिन्नों की उपासना (इबादत) करने के कारण काफिर

धोषित किया गया उन्हों ने भी उन (जिन्नों) को अल्लाह का पुत्र नहीं बनाया था।

इसी प्रकार चारों मतों के विद्वान 'मुरतद के आदेश के अध्याय' में उल्लेख करते हैं : यदि किसी मुसलमान की यह धारणा हो कि अल्लाह का पुत्र (संतान) है तो वह मुरतद (अधर्मी) है। तथा वह दोनों भागों में अन्तर करते हैं। यह बात अत्यन्त स्पष्ट है।

और यदि वह कहेः

﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس:٦٢].

याद रखो अल्लाह के मित्रों पर न कोई भय है न वे दुखी होते हैं। (सूरः यूनुसः ६२)

तो आप उसे उत्तर दीजिये कि यह सत्य है, किन्तु उनकी उपासना नहीं की जायेगी।

और हम ने केवल अल्लाह के साथ उनकी उपासना और उसके साथ उन्हें साझी बनाने का उल्लेख किया है, अन्यथा आप पर उनसे प्रेम करना, उनका अनुसरण करना और उनकी करामत (चमतकार) को स्वीकार करना अनिवार्य है और सदाचारियों की करामत को

केवल बिदअती और पथ-भ्रष्ट लोग नकारते हैं। और अल्लाह का धर्म दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ (संतुलित), दोनों कुमार्गताओं के बीच मार्गदर्शन और दोनों मिथ्याओं (असत्यों) के बीच सत्य है।

अध्याय : ११

{ यह सिद्ध करना कि पहले लोगों का शिर्क हमारे युग के लोगों के शिर्क से दो कारणों से कमतर है}

जब आप इस बात से अवगत हो गये कि हमारे युग के अनेकेश्वरवादी (मुशरिकीन) जिसे 'एतिक़ाद' (श्रद्धा) कहते हैं, यह वही शिर्क (अनेकेश्वरवाद) है जिसके विषय में क़ुरआन अवतरित हुआ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिस पर लोगों से युद्ध किया, तो यह भी जानते चलें कि पहले लोगों का शिर्क हमारे युग के लोगों के शिर्क से दो कारणों से न्यूनतम (कमतर) थाः

प्रथम कारण : प्राचीन काल के लोग केवल सुख और चैन की अवस्था में फरिश्तों, सदाचारियों और मूर्तियों को पुकारते और उन्हें अल्लाह का साझी ठहराते थे, किन्तु दुख और कठिनाई (विपत्ति) के समय सब को छोड़कर केवल अल्लाह को पुकारते थे, जैसा कि

निम्नलिखित आयतों में वर्णन किया गया है, अल्लाह तआला ने फरमायाः

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً ﴾ [الإسراء:٦٧].

जब तुम समुद्र में आपत्ति ग्रस्त होते हो तो अल्लाह के अतिरिक्त जिन जिन को तुम पुकारते थे सब भूल जाते हो, फिर जब वह थल की ओर तुम्हें सुरक्षित ले आता है, तो तुम मुख फेर लेते हो, और मनुष्य अत्यधिक कृतधन है।

(सूरतुल-इस्रा : १६७)

और दूसरे स्थान पर फरमाया :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ○ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام:٤٠،٤١].

(हे पैग़म्बर) उन काफिरों से कहो भला बतलाओ तो सही यदि तुम पर अल्लाह की यातना आ जाये

अथवा तुम पर क़्यामत आ खड़ी हो तो क्या उस समय अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य को पुकारो गे ? यदि तुम सत्यवादी हो। अपितु विशेष रुप से अल्लाह ही को पुकारो गे, फिर यदि वह चाहेगा तो उस विपत्ति को जिसके लिये पुकारते हो हटा देगा और जिनको तुम ने उसका साझी बनाया था उन सबको भूल जाओ गे। (सूरतुल-अनआमः ४०-४१)

﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ [الزمر:٨].

जब मनुष्य को कोई कष्ट पहुंचता है तो ध्यानमग्न होकर अपने स्वामी को पुकारता है, फिर जब वह अपनी ओर से कोई नेमत (उपहार) प्रदान करता है तो उसको भूल जाता है जिसको इस से पहले पुकारता था और दूसरों को अल्लाह तआला का साझी निर्धारित करने लगता है, जिस से (अन्य लोगों को भी) उसके मार्ग से पथ-भ्रष्ट कर दे, आप कह दीजिये कि अपने कुफ़्र का लाभ कुछ

दिन और उठालो, अन्त में तू नरकवासियों में होने वाला है। (सूरतुज़-जुमर : ८)

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [لقمان:٣٢].

जब छज्जों के समान धारायें उनको ढांक लेती हैं तो उस समय उपासना को केवल अल्लाह के लिये निर्धारित करके उसे (ही) पुकारते हैं।

(सूरः लुक़्मान : ३२)

इस लिये जो व्यक्ति यह मसअला जिसकी अल्लाह तआला ने अपनी पवित्र पुस्तक (कुरआन) में व्याख्या की है ठीक से समझ ले कि जिन अनेकेश्वरवादियों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने युद्ध किया वह केवल सुख और चैन की अवस्था में अल्लाह के साथ दूसरों को पुकारते थे, परन्तु कठिनाई, कष्ट तथा विपत्ति के समय वह सब को छोड़कर केवल एक अल्लाह जिस का कोई साझी नहीं, को पुकारते और अपने अन्य पूजा पात्रों को भूल जाते थे। तो यह समझ लेने के पश्चात उसके लिये प्राचीन काल के अनेकेश्वरवादियों और हमारे समय के मुशरिकीन के शिर्क के बीच अन्तर स्पष्ट हो जाये गा, किन्तु कहां है ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय इस

मसअला को सदृढ़ता पूर्वक समझ सके। और अल्लाह ही से सहायता की प्रार्थना की जा सकती है।

दूसरा कारण : हमारे समय के मुशरिकीन की तुलना में प्राचीन समय के मुशरिकीन के शिर्क के न्यूनतम (कमतर) होने का दूसरा कारण यह है कि पहले लोग अल्लाह के साथ उन्हीं लागों को पुकारते थे जो अल्लाह के समीपस्थ बन्दे होते थे, जैसे कि अंबिया (ईश्दूतों), औलिया (सदाचारियों) और फरिश्ते आदि, या फिर पत्थरों और वृक्षों को पुकारते थे जो अल्लाह के आज्ञाकारी हैं, अवज्ञाकारी नहीं।

किन्तु हमारे समय के मुशरिकीन अल्लाह के साथ जिन जिन लोगों को पुकारते हैं वह अत्यंत पापी और दुराचारी लोग होते हैं, और जो लोग उन्हें पुकारते हैं वही (मुशरिकीन) स्वयं उनके पापी और दुराचारी होने, व्यभिचार और चोरी चुकारी में ग्रस्त होने और बेनमाज़ी होने की कथाऐं बयान करते रहते हैं।

स्पष्ट बात है कि जो व्यक्ति किसी सदाचारी के विषय में कोई विश्वास (श्रद्धा) रखे, तथा लकड़ी और पत्थर जैसी वस्तुओं के संबंध में श्रद्धा रखे जो अल्लाह के अवज्ञाकारी नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति का शिर्क उस व्यक्ति के

शिर्क से कम (अल्प) होगा जो वही अक़ीदा किसी दुराचारी और पापी के विषय में रखे और स्वयं उसके दुराचार और पाप की गवाही भी दे।

अध्याय : १२

{ उन लोगों के संदेह का निराकरण जो यह विचार करते हैं कि जिसने धर्म के कुछ कर्तव्यों का पालन कर लिया वह काफ़िर (नास्तिक) नहीं हो सकता, यद्यपि वह तौहीद के विरुद्ध कार्य करे और इसका विस्तार पूर्वक प्रमाण}

जब यह बात सिद्ध हो गयी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन लोगों से युद्ध किया वह हमारे युग के मुशरिकीन से अधिक बुद्धिमान और इन से कमतर मुशरिक थे, तो आप यह भी जानते चलें कि उनका एक और सन्देह है जिसे वह हमारे उपरोक्त प्रमाणों के विरुद्ध व्यक्त करते हैं, और यह एक बड़ा संदेह है, अतः ध्यान पूर्वक इसका उत्तर सुनें:

वह कहते हैं कि जिन मुशरिकीन के संबंध में कुरआन अवतरित हुआ वह 'ला-इलाहा इल्लल्लाह' (अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं) की गवाही नहीं देते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को झुठलाते थे, महाप्रलय (मृत्यु के पश्चात पुनः जीवन) को

अस्वीकार करते थे, कुरआन को झुठलाते और उसे जादू (मायाकर्म) ठहराते थे। किन्तु हम 'ला-इलाहा इल्लल्लाह' और 'मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' की गवाही देते हैं, कुरआन को सत्य मानते हैं, महाप्रलय पर विश्वास रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़ा (व्रत) रखते हैं, फिर हमें उन अनेकेश्वरवादियों के समान क्यों ठहराते हो ?

उसका उत्तर यह है कि समस्त उलमा (धर्म-ज्ञानी) इस बात पर एक मत हैं कि जो व्यक्ति सभी बातों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पुष्टि करे और केवल ऐक बात में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को झुठला दे, वह नास्तिक (काफ़िर) है इस्लाम में प्रवेश नहीं हआ। इसी प्रकार वह व्यक्ति जो कुरआन के कुछ भाग पर विश्वास रखे और कुछ को अस्वीकार कर दे, वह भी काफिर है। उदाहरण स्वरुप कोई व्यक्ति तौहीद को स्वीकार करे और नमाज़ की अनिवार्यता को अस्वीकार करे, अथवा तौहीद और नमाज़ दोनों को स्वीकार करे और ज़कात की अनिवार्यता को नकार दे, अथवा इन सब (तौहीद, नमाज़, ज़कात) को माने और रोज़े को अस्वीकार करे, अथवा उपरोक्त चारों कर्तव्यों को स्वीकार करे और हज्ज को अस्वीकार करे (तो वह इन सब अवस्थाओं में काफिर है)। इसी कारण जब नबी

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में कुछ लोगों ने हज्ज के आदेश का आज्ञापालन नहीं किया तो उनके संबंध में अल्लाह तआला ने यह आयत अवतरित कियाः

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾

[آل عمران:٩٧].

अल्लाह तआला ने उन लोगों पर जो इस घर तक पहुंचने के सामर्थी हों, इस घर का हज्ज अनिवार्य किया है, और जो कोई कुफ़्र (अर्थात इस आदेश का पालन न) करे तो अल्लाह तआला (उससे बल्कि) पूरे विश्व से निस्पृह है। (सूरः आल-इम्रानः ९८)

और जो व्यक्ति उपरोक्त सभी बातों को स्वीकार करे और मृत्यु के पश्चात पुनः जीवित किये जाने का इन्कार करे, तो ऐसा व्यक्ति समस्त विद्वानों की सहमति के साथ नास्तिक है और उसका रक्त (प्राण) और धन वैध (हलाल) है। जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान हैः

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ

سَبِيلاً ○ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً﴾ [النساء: ١٥٠،١٥١].

जो लोग अल्लाह तथा उसके रसूलों (संदेशवाहकों) को नहीं मानते और अल्लाह और उसके पैग़म्बरों के मध्य भिन्नता (अन्तर) पैदा करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम कुछ पैग़म्बरों को मानते हैं और कुछ को नहीं मानेंगे, और कुफ़्र तथा ईमान के मध्य एक मार्ग बनाना चाहते हैं, यही लोग पक्के काफिर हैं, और हम ने इन काफिरों के लिये अपमानजनक यातना तैयार कर रखी है।

(सूरतुन-निसा : १५०-१५१)

जब अल्लाह तआला ने पूर्ण रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति कुछ भागों पर विश्वास रखे और कुछ को अस्वीकार करे वह पक्का काफिर है, तो मुशरिकीन का प्रस्तुत किया हुआ उपरोक्त संदेह भी स्वयं समाप्त हो जाता है। और यह वह संदेह है जिसे 'अहसा' नगर के किसी व्यक्ति ने अपनी उस पुस्तक में उल्लेख किया है जिसे उसने मेरे पास भेजा था।

उपरोक्त संदेह के उत्तर में यह भी कहा जाये गा कि जब तुम इस बात को स्वीकार करते हो कि जो व्यक्ति

तमाम बातों में रसूल की पुष्टि करे और केवल नमाज़ की अनिवार्यता को नकार दे तो वह समस्त विद्वानों के मतानुसार काफिर है, और उसका प्राण और धन वैध है, इसी प्रकार जो व्यक्ति समस्त कर्तव्यों को स्वीकार करे और केवल महाप्रलय के दिन को अस्वीकार कर दे, इसी प्रकार जो समस्त चीज़ों को स्वीकार करे, किन्तु रमज़ान के रोज़े की अनिवार्यता को नकार दे वह समस्त विद्वानों की सम्मति के साथ काफिर (अधर्मी) है, उसके अधर्मी होने में किसी भी मत में कोई मतभेद नहीं है। और स्वयं क़ुरआन ने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है, जैसा कि पूर्व इसका वर्णन हो चुका है। और यह बात सब जानते हैं कि तौहीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का लाया हुआ सब से महत्वपुर्ण (महान) फरीज़ा (कर्तव्य) है और उसका स्थान नमाज़, ज़कात, रोज़ा (व्रत) और हज्ज से बढ़कर है, तो यह कैसे हो सकता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लाई हुई शरीअत (धर्म-शास्त्र) का सम्पूर्ण रूप से पालन करने के उपरान्त यदि कोई व्यक्ति एक बात का भी इन्कार कर दे तो वह काफिर हो जाये और कोई तौहीद को, जो समस्त अंबिया (ईश्दूतों) का धर्म है, नकार करके भी

मुसलमान बना बैठा रहे ? सुब्हानल्लाह ! यह कैसी बड़ी मूर्खता की बात है।

आपत्तिकर्ता से उत्तर में यह भी कहा जायेगा कि सहाबा ने बनू हनीफा से युद्ध किया, हालांकि बनू हनीफा के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ पर ईमान लाये थे और 'ला-इलाहा इल्लल्लाह', 'मुहम्मदुर्रसू-लुल्लाह' (अल्लाह के अतिरिक्त कोई वास्तविक पूज्य नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के संदेश्वाहक हैं) की साक्ष्य (गवाही) देते थे, नमाज़ पढ़ते थे और अज़ान देते थे।

इस पर यदि वह यह आपत्ति व्यक्त करे कि सहाबा ने बनू हनीफा से इस लिये युद्ध किया था कि वह मूसैलमह को नबी (ईश्दूत) कहने लगे थे। इस पर आप उत्तर दें कि हमारे कथन का यही उद्देश्य है। बनू हनीफा ने जब एक व्यक्ति को नबी के पद पर नियुक्त कर दिया, तो वह नास्तिक हो गये और उनका रक्त (प्राण) और धन वैध हो गया तथा 'ला-इलाहा इल्लल्लाह' 'मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' की गवाही और नमाज़ उनके कुछ काम न आई। तो जो व्यक्ति 'शमसान' अथवा 'यूसुफ' अथवा किसी सहाबी, अथवा किसी नबी को आकाशों और धरती के प्राप्ताधिकार के पद तक पहुंचा दे, वह

कैसे मुसलमान बाक़ी रहेगा ? अल्लाह अत्यन्त पवित्र है और उसकी प्रतिष्ठा महान है, अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٥٩].

इसी प्रकार अल्लाह तआला उन लोगों के दिलों पर ठप्पा लगा देता जो ज्ञान नहीं रखते (मूर्ख हैं)। (सूरतुर-रूम :५८)

आपत्तिकर्ता को यह भी उत्तर दिया जायेगा कि अली बिन अबु तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिन लोगों को आग में जलाने की यातना दी थी, वह सब के सब इस्लाम के अनुयायी और स्वयं अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों में से थे और सहाबा से उन्हों ने ज्ञान प्राप्त किया था, किन्तु जब उन्हों ने अली के संबंध में (ईश्वर होने का अक़ीदा (श्रद्धा) व्यक्त किया) जिस प्रकार आज लोग 'यूसुफ' और 'शमसान' आदि के विषय में श्रद्धा रखते हैं, तो सभी सहाबा उन्हें नास्तिक (काफिर) घोषित करने और उनकी हत्या करने पर किस प्रकार एक मत हो गये ? क्या आप यह समझते हैं कि सहाबा मुसलमानों को काफिर घोषित कर देंगे ? या आप यह

समझते हैं कि अली के विषय में ऐसा विश्वास रखना तो कुफ़्र (अधर्म) है, किन्तु 'ताज' और उनके समान अन्य लोगों (जैसे यूसुफ, शमसान आदि) के विषय में ऐसा अक़ीदा रखने में कोई पाप नहीं है ?!

आपत्तिकर्ता के उत्तर में यह भी कहा जायेगा कि बनू ऊबैद अल-क़द्दाह, जो अब्बासी शासन काल में मिस्र और मराकुश पर शासन कर रहे थे, वह सब 'ला-इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' की गवाही देते थे, इस्लाम के दावेदार थे, और जुमा और जमाअत (के साथ नमाज़) के लिये उपस्थित होते थे। किन्तु जब उन्हों ने कुछ छोटी छोटी बातों में, जो शिर्क से कहीं अल्प (कमतर) थी, धार्मिक नीतियों का प्रतिरोध प्रकट किया, तो धार्मिक विद्वानों ने उनके काफ़िर (अधर्मी) होने और उनसे युद्ध करने का एक मत होकर आदेश जारी कर दिया, उनके नगरों को दारूल-हर्ब (युद्ध-छेत्र) घोषित कर दिया, और मुसलमानों ने युद्ध करके वह समस्त इस्लामिक नगर मुक्त करा लिये जो उनके शासन अधीन थे।

एक उत्तर यह भी दिया जासकता है कि प्राचीन काल के (अनेकेश्वरवादी) लोग यदि इस कारण काफिर धोषित कर दिये गये कि उन्हों ने शिर्क, रसूल और क़ुरआन को

झुटलाना, और महाप्रलय (मृत्यु के पश्चात पुनः जीवन) को नकारना, तथा इसके अतिरिक्त अन्य पाप को एकत्र कर लिया था, तो आखिर उस अध्याय का क्या अर्थ होगा? जो प्रत्येक मत के विद्वानों ने अपनी अपनी पुस्तकों में ''मुरतद के आदेश का अध्याय'' के शीर्षक से वर्णन किया है, और मुरतद उस मुसलमान को कहते हैं जो इस्लाम को स्वीकार करने के पश्चात काफिर हो जाये।

इसके बाद विद्वानों ने 'मुरतद' के बहुत सारे प्रकार बतलाये हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रकार में मनुष्य काफिर हो जाता है और उसका प्राण ओर धन वैध (हलाल) हो जाता है। यहॉ तक कि धर्म-ज्ञानियों ने ऐसी ऐसी बातें वर्णन की हैं जो उसके करने वाले की दृष्टि में साधारण और छोटी होती हैं (किन्तु उस से मनुष्य धर्म-भ्रष्ट हो जाता है) जैसे कि हृदय से विश्वास रखे बिना मुख से कोई बात कहना, अथवा मनोरंजन और हंसी के रूप में मुख से कोई वाक्य निकाल देना।

यह उत्तर भी दिया जायेगा कि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ ﴾ [التوبة:٧٤].

मुनाफिक़ (द्धयवादी, पाखंडी) अल्लाह की सौगंध खाकर कहते हैं कि उन्हों ने (यह) बात नहीं कही, हालांकि निःसन्देह वह कुफ़्र की बात कह चुके हैं और इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात फिर वह काफ़िर (नास्तिक) बन गये हैं। (सूरः अत्तौबाः७४)

इस आयत में अल्लाह तआला ने जिन लोगों का वर्णन किया है, केवल एक बात के कारण उन्हें काफिर (अधर्मी) धोषित कर दिया गया, हालांकि वह लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में थे, आप के साथ जिहाद (धर्म-युद्ध) में भाग लेते, नमाज़ पढ़ते, ज़कात देते, हज्ज करते और अल्लाह तआला की अद्धैत (वहदानियत) को स्वीकार करते थे।

तथा एक दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला ने फरमाया :

﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ○لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [التوبة:٦٥،٦٦].

(हे पैग़म्बर) इन से कह दोः क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से हंसी

उपहास (मनोरंजन) करते हो? बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाकर (ईमान का दावा करके) फिर काफ़िर हो गये। (सूरतुत-तौबाः ६५-६६)

इस आयत में अल्लाह तआला ने जिन लोगों का वर्णन किया है और जिनके विषय में यह स्पष्टीकरण किया है कि वह ईमान के पश्चात नास्तिक होगये, वह लोग तबूक के युद्ध में अल्लाह के रसूल के साथ थे और उनके मुख से एक बात निकल गई थी जिसके विषय में वह स्वयं स्वीकार करते थे कि हम ने उसे हंसी मनोरंजन के रूप में कहा था।

अब आप मुशरिकीन के इस संदेह पर पुनः विचार करें जो यह कहते हैं कि : तुम उन मुसलमानों को कैसे काफिर घोषित करते हो जो ''ला-इलाहा इल्लल्लाह'' की साक्ष्य (गवाही) देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़ा भी रखते हैं ? फिर इस के पश्चात इस संदेह का उपरोक्त उत्तर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इन पन्नों में यह बहुत लाभदायक और बहुमूल्य उत्तर है।

उपरोक्त उत्तर का एक तर्क वह कहानी भी है जिसे अल्लाह तआला ने बनी-इस्राईल के संबंध में वर्णन किया है कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने और ज्ञान तथा

संयम के होते हुये, मूसा अलैहिस्सलाम से यह मांग किया किः

﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ [الأعراف:١٣٨].

(हे मूसा) जिस प्रकार इन लोगों के पास पूज्य हैं ऐसा ही एक पूज्य हमारे लिये भी बनादो।
(सूरतुल-अराफः १३८)

तथा कुछ सहाबा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से याचना किया किः हमारे लिये भी एक ''ज़ात- अनवात'' (एक वृक्ष जिस पर मुशरिकीन अपनी तलवारें आदि बरकत के लिये लटकाते थे) निर्धारित कर दीजिये। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सौगंध खाकर फरमाया कि यह कथन तो उस कथन के समान है जो बनी-इस्राईल ने मूसा अलैहिस्सलाम से व्यक्त किया था कि : हमारे लिये भी एक पूज्य बना दो।

अध्याय : १३

{ जो मुसलमान अज्ञानता (मूर्खता) में किसी प्रकार का शिर्क कर बैठे, फिर उस से क्षमा याचना कर ले उसका हुक्म }

किन्तु उपरोक्त दोनों घटनाओं के प्रति मुशरिकीन एक और संदेह पेश करते हैं, वह यह है कि बनू इस्राइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से जिस बात की याचना की उस पर वह नास्तिक नहीं घोषित किये गये, इसी प्रकार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी अपने उन साथियों को काफिर नहीं ठहराया जिन्हों ने आप से ''ज़ात अनवात'' बनाने की मांग की थी।

इस संदेह का उत्तर आप इस प्रकार दें कि बनू इस्राइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूज्य बनाने की केवल मांग की थी, पूज्य बनाया नहीं था। इसी प्रकार कुछ सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ''ज़ात अनवात'' बनाने का केवल आवेदन किया था, और इस बात में किसी का मतभेद नहीं है कि बनु इस्राईल ने जिस चीज़ की मांग की थी उसे किया नहीं था, और यदि वह उसे कर डाले होते तो काफिर

होजाते, इसी प्रकार इस बात में भी कोई मतभेद नहीं है कि जिन सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोका था यदि उन्होंने आप की बात न मानी होती और मनाही करने के बावजूद ''ज़ात अनवात'' बना लिया होता तो वह नास्तिक (काफिर) हो जाते। और यही सिद्ध करना हमारा उद्देश्य है।

उपरोक्त घटना एक अन्य पक्ष (दृष्टिकोण) से इस ओर भी संकेत करती है कि एक (साधारण) मुसलमान, बल्कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अज्ञानता में शिर्क में फंस सकता है। अतः ज्ञान प्राप्त करना और सावधानी बरतना आवश्यक है। और यह जानना भी अनिवार्य है कि अनाड़ियों का यह कहना किः हम ने तौहीद को समझ लिया है, शैतानी बहकावा और बड़ी मूर्खता की बात है।

उपरोक्त घटना से यह भी ज्ञात होता है कि एक मुसलमान विद्वान यदि अनजाने में कोई कुफ़्र की बात कह दे और सचेत किये जाने के तुरन्त पश्चात उस से क्षमा याचना कर ले तो वह काफिर नहीं होगा।

जैसा कि बनू इस्राईल और उन लोगों के साथ हुआ जिन्हों ने नबी से शिर्किया मांग की थी, (किन्तु उन्हें काफिर नहीं ठहराया गया)।

इस घटना से एक अन्य महत्वपूर्ण मसअले का और भी पता चलता है, वह यह कि ऐसा व्यक्ति यद्यपि काफ़िर नहीं होता किन्तु बड़े ही कठोर शब्दों में उसकी डांट-डपट होनी चाहिये, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने साथियों की डांट-डपट की थी।

अध्याय : १४

{ उन लोगों का खण्डन जिनका गुमान यह है कि तौहीद में केवल ''ला-इलाहा इल्लल्लाह'' कह लेना ही पर्याप्त है, यद्यपि वह उसके विरुध काम करे}

मुशरिकीन का एक और संदेह भी है, वह कहते हैं कि उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ''ला-इलाहा इल्लल्लाह'' कहने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस पर क्रोध प्रकट किया और फरमायाः

((أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ:لاَإِلَهَ إِلاَ اللهُ))

क्या 'ला-इलाहा इल्लल्लाह' कहने के पश्चात भी तुम ने उसकी हत्या कर दी ?

इसी प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान हैः

((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَإِلَهَ إِلاَ اللهُ))

मुझे आदेश दिया गया है कि लोगों से उस समय तक युद्ध करूं जब तक कि वह 'ला-इलाहा इल्लल्लाह' की गवाही न दें।

इसके अतिरिक्त 'ला-इलाहा इल्लल्लाह' कहने वाले से हाथ रोक लेने के संबंध में वर्णित अन्य हदीसों को पेश करते हैं। और यह मूर्ख (मुशरिकीन) इन हदीसों का अर्थ यह निकालते हैं कि 'ला-इलाहा इल्लल्लाह' को स्वीकार करने के पश्चात आदमी जो चाहे करे, उसे न काफ़िर कह सकते हैं और न उसकी हत्या कर सकते हैं।

इसके उत्तर में इन मूर्ख मुशरिकों से कहा जाये गा किः ज्ञात होना चाहिये कि यहूद भी 'ला-इलाहा इल्लल्लाह' पढ़ते थे, किन्तु अल्लाह के रसूल ने उन से युद्ध किया और उन्हें बन्दी बनाया। तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथियों (सहाबा) ने बनु हनीफा से युद्ध किया, हालांकि वह ''ला-इलाहा इल्लल्लाह'' और ''मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह'' की साक्ष्य देते थे, नमाज़ पढ़ते थे और इस्लाम के दावेदार भी थे। इसी प्रकार वह लोग भी तौहीद को स्वीकार करते थे जिन्हें अली बिन अबू तालिब ने आग से जलाया था।

यह मूर्ख इस बात को मानते हैं कि वह व्यक्ति जो महाप्रलय (मृत्यु पश्चात पुनः जीवन) का इंकारी हो, वह काफिर है और उसकी हत्या वैध है , यद्यपि वह ''ला-इलाहा इल्लल्लाह'' कहने वाला हो, तथा वह व्यक्ति जो इस्लाम के किसी स्तम्भ को न माने वह भी काफ़िर है और उसकी हत्या कर दी जाये गी, यद्यपि वह ''ला-इलाहा इल्लल्लाह'' की स्वीकृति करने वाला हो।

प्रश्न यह है कि यह कैसे हो सकता है कि इस्लाम के किसी स्तम्भ को अस्वीकार करने वाले के लिये ''ला-इलाहा इल्लल्लाह'' की स्वीकृति लाभदायक नहीं हुई, तो उस व्यक्ति के लिये ''ला-इलाहा इल्लल्लाह'' की स्वीकृति कैसे लाभदायक सिद्ध हो सकती है जो ''तौहीद'', जो कि समस्त नबियों (ईश्दूतों) के धर्म की नीव और मूल आधार है, का इंकार करे ? किन्तु अल्लाह तआला के यह शत्रु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अहादीस का अर्थ नहीं समझते।

उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु की जिस हदीस से मुशरिकीन दलील (तर्क) पकड़ते हैं उसका उत्तर यह है कि उसामा ने एक व्यक्ति को उसके इस्लाम का दावा करने के पश्चात भी यह समझकर क़त्ल कर दिया कि

उसने अपनी प्राण और धन को सुरक्षित करने के लिये कलिमा (''ला-इलाहा इल्लल्लाह'') पढ़ लिया है।

हालांकि वास्तविक बात यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने इस्लाम की घोषणा कर दे, तो उस से हाथ रोक लेना आवश्यक है यहां तक कि उसकी ओर से इस्लाम के विरूद्ध कोई बात सिद्ध हो जाये। इस विषय में अल्लाह तआला ने यह आयत अवतरित की है:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [النساء:٩٤].

हे ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के मार्ग (जिहाद) में निकलो तो छान-बीन (गवेषणा) कर लिया करो।

(सूरतुन-निसाः ९४)

यह आयत इस बात पर प्रमाण है कि जो व्यक्ति अपने इस्लाम की घोषणा कर दे उस से हाथ रोक लेना और उसके विषय में जॉच-पड़ताल करना आवश्यक है, जॉच-पड़ताल के पश्चात यदि उसकी ओर से इस्लाम के विरूद्ध कोई बात सिद्ध हो जाये तो उसकी हत्या कर दी जाये गी, इस आयत का कदापि यह अर्थ नहीं कि इस्लाम की घोषणा करने के पश्चात मनुष्य की हत्या नहीं

की जाये गी, यदि यही अर्थ होता तो इस आयत में छान बीन करने का जो आदेश दिया गया है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता।

इसी प्रकार इस विषय की अन्य हदीसों का अर्थ भी वही है जो ऊपर वर्णन किया गया है, अर्थात जो व्यक्ति इस्लाम और तौहीद की धोषणा कर दे उस से हाथ रोक लिया जायेगा और छान बीन के पश्चात यदि उसके अन्दर इस्लाम के विरूद्ध कोई बात सिद्ध हो तो उसकी हत्या कर दी जाये गी। इसका प्रमाण यह है कि जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु से यह कहा थाः

((أَ قَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ))

क्या ''ला-इलाहा इल्लल्लाह'' कहने के पश्चात भी तुम ने उसकी हत्या कर दी ?

और जिस रसूल की यह हदीस है कि :

((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ))

मुझे आदेश दिया गया है कि लोगों से उस समय तक युद्ध करता रहूं जब तक वह ''ला-इलाहा इल्लल्लाह'' न कहें।

उसी रसूल ने ख़वारिज के संबंध में यह आदेश जारी किया:

((أَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُم فَاقْتُلُوهُم، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُم لأَقْتُلَنَّهُم قَتْلَ عَادٍ))

उन्हें जहां भी पाओ उनकी हत्या करो, यदि मैं ने उनको पा लिया तो क़ौम आद के समान उनकी हत्या करूंगा। (बुख़ारी-६६३०)

इस बात से सभी अवगत हैं कि ख़वारिज सब से अधिक इबादत करने वाले और अल्लाह की तहलील (ला-इलाहा इल्लल्लाह) करने वाले थे। यहां तक कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम उनके सामने अपनी नमाज़ों को तुच्छ (कमतर) समझते थे, उन ख़वारिज ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से ज्ञान भी प्राप्त किया था, किन्तु जब उनकी ओर से शरीअत (धर्म शात्र) का उल्लंघन सामने आया, तो ''ला-इलाहा इल्लल्लाह'' की स्वीकुति, अधिक उपासना और इस्लाम का दावा कुछ भी तो उनके काम नहीं आया।

पिछले पृष्टो में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के यहूद से युद्ध करने तथा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बनू हनीफा से लड़ाई करने का उदाहरण बीत

चुका है, यह घटनायें भी उपरोक्त वर्णित मसअले की पुष्टि करती हैं।

साथ ही इस घटना पर भी चिंतन करते चलें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब इस बात की सूचना मिली कि बनू मुस्तलिक़ के लोगों ने ज़कात देना अस्वीकार कर दिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन से युद्ध करने का निश्चय किया। उस पर यह आयत अवतरित हुईः

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات:٦].

हे ईमान वालो, यदि तुम्हें कोई भ्रष्टाचारी सूचना दे तो तुम उसकी भली-भांति छान बीन कर लिया करो, (ऐसा न हो) कि अज्ञानता में किसी समुदाय को हानि पहुंचा दो, फिर अपने किये पर पछतावो।
(सूरतुल-हुजुरातः ६)

बाद में स्पष्ट हुआ कि बनु मुस्तलिक़ के विषय में सूचना देने वाला व्यक्ति झूटा था।

यह सब घटनायें इस बात की स्पष्ट प्रमाण हैं कि मुशरिकीन ने जिन हदीसों से दलील पकड़ी है उनका सहीह (शुद्ध) अर्थ वही है जो हम ने ऊपर बयान किया है।

अध्यायः १५

{ उपस्थित जीवित व्यक्ति से उस चीज़ में जिसका वह सामर्थी हो सहायता मांगने, तथा अजीवित व्यक्ति से सहायता मांगने के बीच अन्तर}

मुशरिकीन का एक संदेह वह हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि : महा प्रलय के दिन लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास इस्तिग़ासा (सहायता मांगने) के लिये जायेंगे, फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास सहायता मांगने के लिये जायेंगे, और सब के सब विवश्ता प्रकट करेंगे, यहां तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास मामला लेकर पहुंचेंगे। मुशरिकीन कहते हैं कि मानो ग़ैरूल्लाह (अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य) से सहायता मांगना शिर्क नहीं है।

इस संदेह का उत्तर यह है कि पवित्र है वह ज़ात (अस्तित्व) जिस ने अपने शत्रुओं के दिलों पर ठप्पा लगा

दिया, क्योंकि हम मख़्लूक़ (मनुष्य) से उस काम में सहायता मांगने के इन्कारी नहीं हैं जिसका वह सामर्थी हो, जैसा कि अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी में वर्णन किया है :

﴿ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ [القصص: ١٥]

जो (मूसा) के सम्प्रदाय में से था उसने उस व्यक्ति के विरूद्ध जो उसके शत्रुओं में से था, मूसा (अलैहिस्सलाम) से सहायता मांगी। (सूरतुल-क़सस : १५)

तथा जिस प्रकार मनुष्य युद्ध या इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ों में जिस पर मनुष्य सामर्थ होता है, अपने साथियों से सहायता मांगता है। हम तो उस इस्तिग़ासा का इन्कार करते हैं जो सदाचारियों के समाधियों पर जाकर उपासना के रूप मे किया जाता है, अथवा परोक्ष स्वरूप उन से उन चीज़ों का प्रश्न किया जाता है जो अल्लाह के अतिरिक्त किसी के बस (शक्ति) में नहीं है।

इस सविस्तार के पश्चात उपरोक्त हदीस की ओर आयें जिसे मुशरिकीन प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इस हदीस में अंबिया (ईश्दूतों) से सहायता मांगने का विस्तार

यह है कि महाप्रलय के दिन लोग अंबिया अलैहिमुस्सलाम के पास आकर यह अनुरोध करेंगे कि वह अल्लाह तआला से यह प्रार्थना करें कि शीघ्र हिसाब किताब हो, ताकि स्वर्गवासी मैदान हश्र (प्रलय स्थान) की कष्ट से छुटकारा पायें।

स्पष्ट बात है कि इस प्रकार की फर्याद याचना करना संसार में भी जायेज़ है आरै प्रलय में भी, आप किसी सदाचारी और जीवित व्यकित के पास जायें, जो आप के पास बैठ कर आप की बातें सुने और आप उस से यह अनुरोध करें कि मेरे लिये अल्लाह से प्रार्थना कर दीजिये। जैसा कि सहाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवन में आपके पास आते थे और अनुरोध करते थे, किन्तु आपकी मृत्यु के पश्चात कदापि ऐसा नहीं हुआ कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आपकी समाधि के पास जाकर आप से प्रार्थना की याचना की हो, बल्कि सलफ सालेहीन (पूर्वज) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास अल्लाह तआला से दुआ करने से भी मनाही करते थे, तो स्वयं आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रार्थना की याचना कैसे की जा सकती है ?

मुशरिकीन का एक अन्य संदेह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी भी है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हवा में आपके सामने प्रकट हुये और यह प्रस्ताव पेश किया कि यदि आपको कोई आवश्यकता हो तो बतायें ? इब्राहीम (عليه السلام) अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया कि आप से तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है।

इस घटना को लेकर अनेकेश्वरवादी कहते हैं कि यदि (इब्राहीम अलैहिस्सलाम से) सहायता मांगना शिर्क होता तो स्वयं जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह प्रस्ताव न दिया होता।

यह संदेह वास्तव में पहले ही संदेह के समान है और इसका उत्तर भी वही है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको उसी चीज़ के द्वारा लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव दिया था जिस पर वह सामर्थ रखते थे, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने पवित्र कुरआन में

(شَدِيدُ الْقُوَى) (सूरतुन-नज्मः५)

''अधिक शक्तिवान'' कहा है, इसलिये यदि अल्लाह तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस बात की अनुमति दे देता कि वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग और

उसके चारों ओर (आस पास) की धरती और पर्वतों को उठाकर पूरब या पश्चिम में फेंक दें, तो वह ऐसा कर सकते थे, और यदि अल्लाह तआला उन्हें इस बात का आदेश देता कि वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी दूर स्थान पर छोड़ आयें तो वह ऐसा कर सकते थे, इसी प्रकार यदि उन्हें इस बात का आदेश मिलता की आप को उठाकर आकाश पर पहुंचा दे, तो वह निःसंदेह ऐसा करने की शक्ति रखते थे।

इसका उदाहरण ऐसे ही हे जैसे कोई धनवान व्यक्ति जिसके पास अधिक धन हो, किसी धनहीन (दरिद्र) व्यक्ति को देखकर उसे ऋण देने का प्रस्ताव करे या उसे कुछ दान देना चाहे जिस से वह अपनी आवश्यकता पूरी कर सके, किन्तु वह दरिद्र व्यक्ति लेने से इन्कार कर दे और धैर्य से काम ले यहां तक कि अल्लाह तआला स्वयं उसकी जीविका का प्रबंध कर दे, जिसमें किसी अन्य का उपकार न हो।

भला बतलाईये कि इस इस्तिग़ासा (सहायता याचना) का उस इस्तिग़ासा से क्या संबंध है जिस में शिर्क और अल्लाह को छोड़ कर अन्य की उपासना का समिश्रण हो। काश यह लोग समझते!

अध्याय : १६

{ तौहीद का हृदय, मुख और अमल (कर्म) से होना आवश्यक है सिवाय इसके कि कोई शरई (धार्मिक) कारण हो}

इन शा-अल्लाह हम इस लेख की समाप्ति एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और महान मसअले के वर्णन पर करते हैं, जिसकी ओर पिछली वार्ता में संकेत आ चुका है। किन्तु उसकी महानता (गम्भीरता) और लोगों के उसमें अधिकतर ग़लती कर बैठने के कारण, उसका अलग से वर्णन करना आवश्यक समझते हैं।

इस बात पर सब एक मत हैं कि ''तौहीद'' का हृदय, मुख और अमल (कर्म) तीनों से एक ही समय में संबंध होना आवश्यक है, इन में से यदि किसी चीज़ के अंदर भी अभाव पाया जाये, तो आदमी मुसलमान नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति ''तौहीद'' को समझता है, किन्तु उसके अनुसार कार्य नहीं करता है तो वह फिरऔन और इब्लीस आदि के समान अहंकारी काफिर है।

इस संबंध में बहुत से लोग ग़लत फहमी (भ्रान्ति) में पड़े हैं, वह कहते हैं किः यह बात सत्य है, हम उसे समझते हैं और उसके सत्य होने की साक्ष्य भी देते हैं, परन्तु हम उसको करने का सामर्थ नहीं रखते, अपने नगर के लोगों का विरोध करके हमारे लिये गुज़ारा करना कठिन है (क्योंकि हमारे नगर में इसका प्रचलन नहीं है), इसी प्रकार के अन्य बहाने बनाते हैं, शायद यह भोले भाले लोग नहीं जानते कि काफिरों के बड़े बड़े सरदार भी सत्य को पहचानते थे, किन्तु इसी प्रकार के हीले-बहाने में पड़ कर वह सत्य को त्याग किये हुये थे। जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान हैः

﴿ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ [التوبة:٩]

उन्हों ने अल्लाह तआला की आयतों को थोड़े से मूल्य पर बेच डाला। (सूरतुत-तौबाः ९)

इसके अतिरिक्त अन्य आयतें भी हैं, जैसे कि एक स्थान पर फरमायाः

﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة:١٤٦].

वह (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को ऐसा ही पहचानते हैं जैसा कि वह अपने बेटों को पहचानते हैं। (सूरतुल-बक़राः १४६)

किन्तु यदि कोई व्यक्ति तौहीद को समझे बिना तथा हृदय से विश्वास रखे बिना केवल वाह्य से (प्रत्यक्ष रूप से) तौहीद के अनुसार कार्य करता है तो वह मुनाफिक़ (पाखंडी, कप्टाचारी) है, जो काफिर से भी बढ़कर बुरा (निकृष्ट) है। अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾

[النساء:١٤٥].

निः संदेह मुनाफिक़ (पाखंडी) जहन्नम के सब से निचले खण्ड (पाताल वर्ग) में होंगे। (सूरतुन-निसाः १४५)

यह समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण और दीर्घ है, इसके महत्व का अनुमान आपको उस समय होगा जब इस संबंध में लोगों की बातों पर विचार और चिंतन करें गे। कुछ लोग तो आप को ऐसे मिलें गे जो सत्य को पहचानते तो हैं किन्तु संसार के घाटे के भय से अथवा पद एवं वैभव के लिये, या किसी के सत्कार और सम्मान के कारण उस पर अमल नहीं करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो केवल वाह्य रूप से (देखने में) तौहीद के अनुसार कार्य

करते हैं, हृदय से उस पर विश्वास नहीं रखते हैं, उनसे यदि पूछा जाये कि तौहीद के विषय में आपका क्या अक़ीदा (श्रद्धा, मान्य) है ? तो उनके पास इसका कोई ज्ञान नहीं होता है।

अतः ऐसी स्थिति में आप क़ुरआन की दो आयतें अवश्य समझ लें:

(***प्रथम आयत***) : प्रथम आयत यह है :

﴿ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [التوبة:٦٦].

बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाकर (ईमान का दावा करके) फिर काफ़िर हो गये। (सूरतुत-तौबा : ६६)

आप यह बात भली-भाँति जान चुके हैं कि इस आयत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ (तबूक के युद्ध में) रूमियों से युद्ध करने वाले कुछ सहाबा को जब इय कारण काफ़िर घोषित कर दिया गया कि उन्हों ने मनोरंजन और उपहास में एक कुफ़्र का शब्द अपने मुख से निकाल दिया था। इस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो व्यक्ति किसी की दिलदारी (सांत्वना) अथवा पद के लिये, या धन में अभाव के डर से कुफ़्र की बात कहता या उस पर अमल (कार्य) करता है, उसका कुफ़्र उस व्यक्ति

से कहीं बढ़कर है जो हंसी उपहास में कोई नास्तिकता की बात कह देता है।

(***द्वित्तीय आयत***): इस संबंध की दूसरी आयत अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ﴾

[النحل:١٠٦،١٠٧].

जो व्यक्ति अपने ईमान के पश्चात अल्लाह के साथ कुफ़्र करे, वह नहीं जो कुफ़्र पर विवश (बाध्य) किया जाये और उसका हृदय ईमान पर स्थिर हो। परन्तु जो लोग खुले दिल से कुफ्र करें, ता उन पर अल्लाह का क्रोध है तथा उन्हीं के लिये बहुत बड़ी यातना है। यह सब इस लिये कि उन्हों ने सांसारिक जीवन को पारलौकिक जीवन से प्रियतर समझा। (सूरतून-नहलः १०६-१०७)

इस आयत में अल्लाह तआला ने केवल उस व्यक्ति को क्षमा योग्य बतलाया है जिसे कुफ्र पर विवश कर दिया गया

हो, किन्तु उसका दिल ईमान पर स्थिर हो। इसके अतिरिक्त समस्त लोग ईमान लाने के पश्चात काफिर हो गये चाहे उन्हों ने भय के कारण, या किसी की दिलदारी (सांत्वना) के लिये, या स्वदेश अथवा पत्नी, अथवा परिवार एवं संतान के प्रेम में, या धन की चाहत में अपने मुख से कुफ्र का शब्द निकाला हो, या हंसी उपहास में, या इसके अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से कुफ़्र की बात कही हो, प्रत्येक स्थिति में वह काफिर माना जायेगा ? जैसा कि उपरोक्त आयत इस समस्या (मसअला) को दो पक्षो से प्रमाणित करती है:

(१) إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ (वह व्यक्ति जिसे कुफ़्र पर बाध्य किया गया हो) के वाक्य से सिद्ध होता है कि अल्लाह तआला ने केवल विवश किये गये व्यक्ति को कुफ्र से अलग ठहराया है। और इस बात से सभी अवगत हैं कि मनुष्य को केवल किसी बात के कहने या किसी कार्य के करने ही पर बाध्य किया जा सकता है, जहां तक हृदय के विश्वास (श्रद्धा) का संबंध है तो उस पर कोई भी व्यक्ति किसी को बाध्य नहीं कर सकता।

(२) उपरोक्त आयत से दलील पकड़ने का दूसरा पक्ष यह है कि उस आयत के तुरन्त बाद अल्लाह तआला ने फरमायाः

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ ﴾

[**النحل**:١٠٧].

यह (यातना) इस लिये है कि उन्हों ने प्रलोक की अपेक्षा संसार के जीवन को प्रधानता दी।
(सूरतुन-नहलः १०७)

इस आयत में अल्लाह तआला ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह कुफ़्र और यातना, उनकी श्रद्धा, मूर्खता, धर्म से द्वेष और कुफ़्र से प्रेम के कारण नहीं है, अपितु इसका कारण यह है कि उन्हें उसके अंदर संसार का हर्ष और आनन्द दिखाई दिया, जिसको उन्हों ने प्रलोक पर प्रधानता दी।

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

*(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)**

* **atazia75@hotmail.com**

विषय सूची

विषय *पृष्ठ*

संदेशवाहकों का प्रथम उद्देश्य तौहीद इबादत (उपासना) की पूर्ति है ३

इस बात का प्रमाण कि वह मुशरिकीन जिन से अल्लाह के रसूल ﷺ ने युद्ध किया वह लोग तौहीद रुबूबियत को स्वीकार करते थे किन्तु यह स्वीकृति उन्हें इबादत में शिर्क करने से न बचा सकी ६

'ला-इलाहा इल्लल्लाह' का अर्थ ही तौहीद इबादत है और नबी ﷺ के समय के कुफ़्फ़ार उसके अर्थ को इस्लाम के कुछ दावेदारों से अधिक जानते थे . ११

मुसलमान को ज्ञात होना चाहिये कि उस पर अल्लाह तआला की तौहीद की अनुकम्पा उसके लिये उसकी प्राप्ति पर प्रसन्न होने और उसके छिन जाने से भय करने का कारण है १४

अल्लाह तआला की हिक्मत (नीति) का यह तक़ाज़ा है कि उस ने अपने नबियों (ईश्दूतों) और सदाचारियों के लिये इन्सानों और जिन्नों में से शत्रु बनाया है.................................... १७

शत्रुओं के सन्देहों के निराकरण के लिये किताब और सुन्नत से सशस्त्र होना आवश्यक है......... १९

मिथ्यावादियों का संक्षिप्त तथा विस्तार रूप से उत्तर.. २३

उन लोगों का उत्तर जो यह गुमान करते हैं कि पुकारना उपासना नहीं है ३५

शरई (धार्मिक) शफाअत (अभिस्ताव) और शिर्किया (अधार्मिक) शफाअत के बीच अन्तर ३९

यह प्रमाणित करना कि सदाचारियों का शरण ढूंडना शिर्क है और इसके नकारने वाले को इसे स्वीकार करने पर विवश करना ४४

यह सिद्ध करना कि पहले लोगों का शिर्क हमारे युग के लोगों के शिर्क से (दो कारणों से) कमतर है ५४

उन लोगों के संदेह का निराकरण जो यह विचार करते हैं कि जिसने धर्म के कुछ कर्तव्यों का पालन कर लिया वह काफ़िर (नास्तिक) नहीं हो सकता, यद्यपि वह तौहीद के विरूद्ध कार्य करे, और इसका विस्तार पूर्वक प्रमाण ६०

जो मुसलमान अज्ञानता (मूर्खता) में किसी प्रकार का शिर्क कर बैठे, फिर उस से क्षमा याचना कर ले उसका हुक्म ७२

उन लोगों का खण्डन जिनका गुमान यह है कि तौहीद में केवल ''ला-इलाहा इल्लल्लाह'' कह लेना ही पर्याप्त है, यद्यपि वह उसके विरूध काम करे .. ७५

उपस्थित जीवित व्यक्ति से उस चीज़ में जिसका वह सामर्थी हो सहायता मांगने, तथा अजीवित व्यक्ति से सहायता मांगने के बीच अन्तर ८३

तौहीद का हृदय, मुख और अमल (कर्म) से होना आवश्यक है सिवाय इसके कि कोई शरई (धार्मिक) कारण हो ८८

विषय सूची ६५